रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-14072022-237294
CG-DL-E-14072022-237294

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3036] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जुलाई 14, 2022/आषाढ़ 23, 1944
No. 3036] NEW DELHI, THURSDAY, JULY 14, 2022/ASHADHA 23, 1944

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली,14 जुलाई, 2022

का.आ. 3194(अ).—केंद्रीय सरकार ने तत्कालीन पर्यावरण और वन मंत्रालय में पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 3 की उपधारा (1) और उपधारा (2) के खंड (v) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, पर्यावरण समाघात निर्धारण अधिसूचना, 2006 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिसूचना कहा गया है) कतिपय प्रवर्ग की परियोजनाओं के लिए पूर्व पर्यावरणीय अनापत्ति को अनिवार्य बनाने के लिए का.आ. 1533(अ) तारीख 14 सितंबर, 2006 द्वारा प्रकाशित की है;

और, आज तक, 15% तक कोयला, लिग्नाईट या पेट्रोलियम उत्पाद जैसे सहायक ईंधन का प्रयोग करके जैव स्थूल या गैर परिसंकटमय नगरपालिक ठोस अपशिष्ट पर आधारित 15 मेगावाट तक के तापीय विद्युत संयंत्रों को पर्यावरणीय अनापत्ति की अपेक्षा से छूट दी जाती है, और पूर्वोक्त ईंधन मिश्रण, जो पर्यावरणीय रूप से अनुकूल है, का उपयोग करने के क्रियाकलाप को ध्यान में रखते हुए तथा ऐसे क्रियाकलापों को प्रोत्साहित करने के लिए, केंद्रीय सरकार ऐसे तापीय विद्युत संयंत्रों के लिए न्यूनतम क्षमता में वृद्धि करना आवश्यक समझती है, जिसके लिए पर्यावरणीय अनापत्ति की आवश्यकता नहीं होगी;

और, मत्स्य प्रबंध पत्तनों और बंदरगाहों पर अंतर्वलित मछुआरों की आजीविका सुरक्षा तथा दूसरों के मुकाबले में इन पत्तनों तथा बंदरगाहों के न्यून प्रदूषण संभाव्य और ऐसे अनन्य पत्तन जो ऐसे छोटे मछुआरों की आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं, जिनकी नौकाओं में कमोत्तर प्रदूषण संभाव्य होता है, के मुद्दों को ध्यान में रखते हुए,केंद्रीय सरकार ऐसे पत्तनों और बंदरगाहों के लिए, जो अनन्य रूप से मत्स्य प्रबंध करते हैं, मत्स्य प्रबंध क्षमता के निबंधनानुसार छूट अवसीमा को बढ़ाना आवश्यक समझती है;

और, सीमावर्ती राज्यों में रक्षा और सामरिक महत्व से संबंधित राजमार्ग परियोजनाएं प्रकृति में संवेदनशील हैं और इन्हें अनेक मामलों में, सामरिक, रक्षा और सुरक्षा संबंधी बातों को ध्यान में रखतें हुए पूर्विक्ता पर कार्यान्वित किए जाने की आवश्यकता है तथा इस संबंध में, केंद्रीय सरकार यह आवश्यक समझती है कि सीमावर्ती क्षेत्रों में ऐसी परियोजनाओं को कार्यान्वित करने वाले अभिकरण द्वारा स्व अनुपालन हेतु ऐसी परियोजनाओं के लिए मानक पर्यावरणीय सुरक्षोपायों सहित विनिर्दिष्ट मानक प्रचालन पद्धति के अधीन रहते हुए पर्यावरणीय अनापत्ति की अपेक्षा से छूट प्रदान की जाए;

और यह सत्य है कि टोल प्लाजा को बड़ी संख्या में यानों की आवश्यकता की पूर्ति कर संग्रहण बूथों के संस्थापन के लिए अधिक चौड़ाई की आवश्यकता होती है, जो संभव नहीं होगा, यदि चौड़ाई मार्गाधिकार (आरओडब्ल्यू) तक निर्बंधित है और टोल-प्लाजा की पर्याप्त चौड़ाई की अपेक्षा को ध्यान में रखते हुए, 100 कि.मी. से अधिक की लंबाई वाली राजमार्ग विस्तार परियोजनाओं को पूर्व पर्यावरणीय अनापत्ति संबद्ध उक्त अधिसूचना के उपबंध लागू होगें,भले ही उनका मार्गाधिकार 100 कि.मी. तक राजमार्ग विस्तार के लिए पुन: संरेखण या बाई-पासों के लिए 40 मी. या 60 मी. की अनुज्ञेय विस्तार सीमाएं से कम है और इस संबंध में,केंद्रीय सरकार, टोल-प्लाजा पर तथा चौराहे पर जंक्शन सुधार पर चौड़ाई को मार्गाधिकार में सम्मिलित किए जाने से छूट प्रदान करना आवश्यक समझती है;

और, विद्यमान विमानपत्तनों के संबंध में अधिकांश विस्तारवादी क्रियाकलाप वायुपत्तन के विद्यमान क्षेत्र में वृद्धिरहित टर्मिनल भवन विस्तार से संबंधित है,न कि रनवे आदि के विस्तार से तथा इसलिए इसमें केवल वृद्धिशील पर्यावरणीय समाघात सम्मिलित है,जिनकी आवश्यकताओं की पूर्ति ऐसे पर्यावरणीय सुरक्षोपायों का उपबंध करके की जा सकती है, जो स्थानीय स्तर पर ऐसी अनापत्तियों की मंजूरी के समय पर्यावरणीय प्रबंध में बनाए जा सकते हैं और इस संबंध में, केंद्रीय सरकार यह आवश्यक समझती है कि वह विद्यमान वायुपत्तन परिसरों के भीतर केवल टर्मिनल भवनों और सहबद्ध भवनों से संबंधित विमानपत्तनों विस्तारों का, उक्त अधिसूचना की अनुसूची 8(क) के अनुरूप, चूंकि विस्तार केवल भवन तथा सन्निर्माण पहलू को कवर करता है, प्रवर्गीकृत करे;

और, पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम 5 के उपनियम (3) के खंड (घ) के साथ पठित पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा3 की उपधारा (1) और उपधारा (2) के खंड (v) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, पर्यावरण समाघात निर्धारण अधिसूचना, 2006 में संशोधन करने के लिए प्रारूप अधिसूचना, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (ii) में संख्यांक का.आ. 1744(अ) तारीख 11 अप्रैल, 2022 द्वारा प्रकाशित की गई थी, जिसमें उन सभी व्यक्तियों से, जिनके उनसे प्रभावित होने की संभावना थी, उस तारीख से, जिसको उक्त प्रारूप अधिसूचना को अंतर्विष्ट करने वाले राजपत्र की प्रतियां जनता को उपलब्ध करा दी गई थीं, साठ दिन की अवधि के भीतर आक्षेप और सुझाव आमंत्रित किए गए थे;

और, उक्त प्रारूप अधिसूचना के उत्तर में प्राप्त आक्षेपों और सुझावों पर केंद्रीय सरकार द्वारा सम्यक् रूप से विचार कर लिया गया है;

अत: अब,केंद्रीय सरकार,पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम 5 के उपनियम (3) के खंड (घ) के साथ पठित पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उपधारा (1) और उपधारा (2) के खंड (v) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए,भारत सरकार के तत्कालीन पर्यावरण और वन मंत्रालय की अधिसूचना सं. का.आ. 1533(अ) तारीख 14 सितंबर, 2006 में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात्:--

उक्त अधिसूचना की अनुसूची में:--

(i) मद 1(घ) के सामने, स्तंभ (5) में, शीर्षक टिप्पण के अधीन, पैरा (i) में, “15 एमडब्ल्यू” अंकों और अक्षरों के स्थान पर, “25 एमडब्ल्यू” अंक और अक्षर रखे जाएंगे;

(ii) मद 7(क) के सामने, स्तंभ (5) में, शीर्षक टिप्पण के अधीन, विद्यमान पैरा को उसके पैरा “(i)” के रूप में संख्यांकित किया जाएगा इस प्रकार संख्यांकित पैरा (i) के पश्चात्, निम्नलिखित अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात्:--

“(ii) केवल >20,000 विद्यमान विमानपत्तन परिसरों के भीतर टर्मिनल भवन और सहबद्ध भवनों के विस्तार के लिए पर्यावरणीय अनापत्ति अपेक्षित होगी और 1,50,000 वर्गमीटर तक ऐसे विस्तार का मूल्यांकन इस अधिसूचना की अनुसूची की मद 8(क) के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा, बशर्ते विमानपत्तन के विद्यमान क्षेत्र में कोई वृद्धि न हो।”;

(iii) मद 7(ङ) के सामने, स्तंभ (4) में,"10,000 टीपीए" अंकों और अक्षरों के स्थान पर, "30,000 टीपीए" अंक और अक्षर रखे जाएंगे;

(iv) मद 7(च) के सामने, स्तंभ (5) में, शीर्षक टिप्पण के अधीन, विद्यमान पैरा को उसके पैरा "(i)" के रूप में संख्यांकित किया जाएगा इस प्रकार संख्यांकित पैरा (i) के पश्चात्, निम्नलिखित अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात्:--

"(ii) इस संबंध में समय-समय पर अधिसूचित मानक प्रचालन कार्य पद्धति के अनुपालन के अधीन रहते हुए नियंत्रण की रेखा या सीमा से 100 कि.मी. तक की सभी राजमार्ग परियोजनाओं को छूट प्रदान की जाती है।

(iii) टोल प्लाजा पर चौड़ाई वाले क्षेत्र और अन्य सड़कों के चौराहे पर जंक्शन सुधार को मार्गाधिकार से छूट प्रदान की जाती है।"।

[फा. सं. आईए 3-22/10/2022/आईए.III]

डा. सुजीत कुमार बाजपेयी, संयुक्त सचिव

टिप्पण : मूल अधिसूचना भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (ii) में संख्यांक का.आ. 1533(अ), तारीख 14 सितम्बर, 2006 द्वारा प्रकाशित की गई थी और इसका अंतिम संशोधन का.आ. 2163(अ), तारीख 9 मई, 2022 द्वारा किया गया था।

MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE

NOTIFICATION

New Delhi, the 14th July, 2022

S.O. 3194(E).—Whereas, the Central Government in the erstwhile Ministry of Environment and Forests, in exercise of its power under sub-section(1) and clause (v) of sub-section (2) of section (3) of the Environment (Protection) Act, 1986 has published the Environment Impact Assessment Notification,2006 (hereinafter referred to as the said Notification, vide number S.O. 1533(E), dated the 14th September, 2006 for mandating prior Environmental Clearance for certain category of Projects;

And whereas, as on date, Thermal Power Plants up to 15 MW based on biomass or non-hazardous Municipal Solid Waste using auxiliary fuel such as coal, lignite or petroleum products up to 15% are exempted from the requirement of Environmental Clearance and in view of the activity of using the aforesaid fuel mix being eco-friendly, and in order to encourage such activities, the Central Government deems it necessary to increase the threshold capacity for such Thermal Power Plants for which Environmental Clearance shall not be required;

And whereas, taking into account the issues of livelihood security of fishermen involved at fish handling ports and harbours and less pollution potential of these ports and harbours compared to others, and that such exclusive ports cater to the small fishermen whose boats have lesser pollution potential, the Central Government deems it necessary to increase the exemption threshold in terms of fish handling capacity for ports and harbours which exclusively handle fish;

And whereas, the Highway projects related to defence and strategic importance in border States are sensitive in nature and in many cases need to be executed on priority keeping in view strategic, defence and security considerations and in this regard, the Central Government deems it necessary to exempt such projects from the requirement of Environmental Clearance in the border areas subject to specified Standard Operating Procedure along with standard environmental safeguards for such projects for self-compliance by the Agency executing such projects;

And whereas, it is a fact that toll plaza needs greater width for installation of toll-collection booths to cater to large number of vehicles, which may not be possible if the width is restricted to Right of Way (RoW) and in view of the requirement of substantial width of toll plaza, Highway Expansion projects having length more than 100 km shall attract the provisions of the said notification, related to prior Environmental Clearance even if their RoW is less than the permissible expansion limits of 40 m or 60 m for re-alignment or by-passes, for Highway expansion upto 100 km and in this regard, the Central

Government deems it necessary to exempt the width at toll plaza and junction improvement at intersection from being included in RoW;

And whereas, most of the expansion activities with regard to existing Airports are related to Terminal Building expansion without increase in existing area of the Airport, rather than expansion of runway etc., and therefore involves only incremental environmental impacts which can be catered by providing for environmental safeguards which can be built into the Environmental Management Plan at the time of grant of such clearances at the local level and in this regard, the Central Government deems it necessary to categorise Airport expansions pertaining to only terminal buildings and allied buildings within the existing Airport premises, in line with schedule 8(a) of the said notification, as the expansion covers the building and construction aspect only;

And whereas, a draft notification for making amendments in the Environment Impact Assessment Notification, 2006 in exercise of the powers conferred by sub-section (1) and clause (v) of sub-section (2) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986, read with clause (d) of sub-rule (3) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986 was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section 3, Sub-section(ii), vide number S.O. 1774(E) dated the 11th April, 2022, inviting objections and suggestions from all the persons likely to be affected thereby, within a period of sixty days from the date on which copies of the Gazette containing the said draft notification were made available to the Public;

And whereas, the objections and suggestions received in response to the said draft notification have been duly considered by the Central Government;

Now, therefore, in exercise of powers conferred by sub-section (1) and clause (v) of sub-section (2) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986), read with clause (d) of sub-rule (3) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986, the Central Government hereby makes the following further amendments in the notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Environment and Forests, number S.O.1533(E) dated the 14th September, 2006, namely:-

In the said notification, in the Schedule,-

(i) against item 1(d), in column (5), under the heading Note, in para (i), for the figures and letters “15 MW” the figures and letters “25 MW” shall be substituted

(ii) against item 7(a), in column (5), under the heading Note, the existing para shall be numbered as “(i)”thereof and after the para (i) as so numbered, the following shall be inserted, namely:-

“(ii) Only expansion of terminal buildings and allied buildings within the existing Airport premises >20,000 shall require Environmental Clearance, and such expansion up to 1,50,000 sqm shall be appraised as per provisions of item 8(a) of the Schedule of this notification provided there is no increase in the existing area of the Airport”;

(iii) against item 7(e), in column (4), for the figures and letters “10,000 TPA”, the figures and letters “30,000 TPA”shall be substituted;

(iv) against item 7(f), in column (5), under the heading Note, the existing para shall be numbered as “(i)” thereof and after the para (i) as so numbered, the following shall be inserted, namely:-

“(ii) All Highway projects are exempted upto 100 km from line of control or border subject to compliance of Standard Operating Procedure notified in this regard from time to time.

(iii) Width at toll plaza and junction improvement at intersection of other roads is exempted from Right of Way.” .

[F. No. IA3-22/10/2022-IA.III]

Dr. SUJIT KUMAR BAJPAYEE, Jt. Secy.

Note : The principal notification was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii), *vide* number S.O. 1533(E), dated the 14th September, 2006 and was last amended *vide* the notification number S.O. 2163(E), dated the 9th May, 2022.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.
SURENDER MAHADASAM Digitally signed by SURENDER MAHADASAM Date: 2022.07.14 22:38:33 +05'30'